भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1934

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई योजनाएँ

1934. श्री तमिलसेल्वन थंगाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार सरकार द्वारा देश भर में बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से क्या उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्र सरकार तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहक वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूती प्रदान करने हेतु, केन्द्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, भूमि कटाव, जल निकास विकास, समुद्री कटाव रोधी इत्यादि से संबंधित कार्यों में राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु XIवीं और XIIवीं योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) को कार्यान्वित किया था जिसे बाद में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्रों के कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" को एक घटक के रूप में जारी रखा गया।

XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान, 13238.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 522 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएँ कवर की गईं और वर्ष 2021-26 के दौरान, एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत 2573.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ छह राज्यों की 7 नई बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को शामिल किया गया है। मार्च 2025 तक, एफएमपी और नदी प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र (आरएमबीए) घटक के अंतर्गत विभिन्न राज्यों

को क्रमशः कुल 7260.50 करोड़ रुपये और 1477.15 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई। पिछले तीन वर्षों के दौरान, एफएमबीएपी योजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान, एफएमबीएपी के अंतर्गत निर्धारित बजट और उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

करोड़ रूपये में

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2022-23	450	450	433.204
2023-24	450	200	198.384
2024-25	449.57	400	386.95

एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कुल 431 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जोकि लगभग 5.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और लगभग 54.84 मिलियन आबादी को सुरक्षा प्रदान करती हैं।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएफकेएसवाई) की शुरूआत, वर्ष 2015-16 में की गई थी, जिसके उद्देश्यों में खेत तक पानी की पहुंच में वृद्धि और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार, सतत जल संरक्षण पद्धतियों की शुरूआत इत्यादि शामिल है। एमकेएसवाई एक अंब्रेला योजना है, जिसमें दो प्रमुख घटक अर्थात त्वरित सिंचाई लाभ कायर्क्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) शामिल हैं, जिनका कार्यान्वयन इस मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र की 13,651.61 करोड़ रुपये की अनुमानित शेष लागत वाली 8 एमएमआई और 83 सतही छोटे सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अप्रैल 2018 तक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई।

महाराष्ट्र पैकेज के अंतर्गत पीएमकेएसवाई के सीएडी एंड डब्ल्यूएम और एआईबीपी घटकों अंतर्गत प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 के दौरान, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 4.69 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र विकास सहित 3.90 लाख हेक्टेयर जल सिंचाई क्षमता का निर्माण/पुनर्स्थापना की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 के दौरान, महाराष्ट्र पैकेज के अंतर्गत 0.63 लाख हेक्टेयर जल सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है।

वर्तमान में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) के एसएमआई/आरआरआर घटक के अंतर्गत 5,861 सतही सूक्ष्म सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों के मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापना (आरआरआर) योजनाओं वाले 58 क्लस्टर शामिल हैं। इन योजनाओं की कुल अनुमानित लागत 9,965 करोड़ रुपये है। 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की सहायता देय राशि 5,449 करोड़ रुपये है।

विगत तीन वर्षों में, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के जल निकायों के एसएमआई और आरआरआर घटक के अंतर्गत सृजित /पुनर्स्थापित सिचाई क्षमता और जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-III** पर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई योजनाएँ" के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 1934 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

विगत तीन वर्षों में एफएमबीएपी के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार केन्द्रीय सहायता (करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	**राज्य**	**जारी की गई केन्द्रीय सहायता**		
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**
1	अरुणाचल प्रदेश			22.50
2	असम	248.65	7.20	25.50
3	बिहार	88.96	74.59	32.51
4	हिमाचल प्रदेश		30.16	
5	जम्मू एवं कश्मीर		0.49	
6	मणिपुर	76.63	62.00	99.00
7	नगालैंड		0.86	
8	पंजाब			0.93
9	उत्तर प्रदेश			164.7
10	उत्तराखंड			12.50
11	पश्चिम बंगाल			7.78
	कुल	**414.24**	**175.30**	**365.42**

अनुलग्नक-II

"बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई योजनाएँ" के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 1934 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्लयूएम के अंतर्गत विगत तीन वित्तीय वर्षों में जारी की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	राज्य	2022-23	2023-24	2024-25
1	असम	41.98	0	42.46
2	बिहार	0	0	49.82
3	छत्तीसगढ	1.85	10.44	3.33
4	गोवा	0	0	0
5	गुजरात	61.15	32.4	11.77
6	हिमाचल प्रदेश	0	414.46	369.53
7	झारखंड	0	0	0
8	कर्नाटक	6.39	0	0
9	केरल	0	0	0
10	मध्य प्रदेश	93.43	53.44	10.94
11	महाराष्ट्र	216.03	336.81	182.19
12	मणिपुर	24.86	13.65	0
13	ओडिशा	0	0	0
14	पंजाब	213	288.45	157.65
15	राजस्थान	20.78	177	212.83
16	तेलंगाना	0	0	0
17	तमिलनाडु	25.7	0	0
18	उत्तर प्रदेश	23.91	0	0
19	उत्तराखंड	38.58	165.56	479.97
20	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	0	0	0
	कुल	**767.66**	**1492.21**	**1520.49**

अनुलग्नक-III

"बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई योजनाएँ" के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 1934 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के डब्ल्यूबी घटक के एसएमआई और आरआरआर के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार केन्द्रीय सहायता (सीए) (करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	राज्य	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश			
2	अरुणाचल प्रदेश	41.95	138.70	77.27
3	असम	71.54	52.09	125.03
4	बिहार	11.76	7.78	
5	गुजरात	3.16	2.57	
6	हिमाचल प्रदेश	40.50	142.30	38.63
7	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख			
8	कर्नाटक	30.00	37.50	37.50
9	मणिपुर	26.46	23.55	
10	मेघालय	46.52	74.21	57.09
11	मिजोरम		0.81	
12	नगालैंड	21.01	92.71	57.81
13	ओडिशा	11.10	56.25	46.67
14	राजस्थान	9.30	10.46	35.99
15	सिक्किम	12.88	29.25	9.40
16	तमिलनाडु	27.70	49.60	26.98
17	तेलंगाना			
18	त्रिपुरा			
19	उत्तराखंड	17.20	93.40	76.00
	कुल	**371.08**	**811.19**	**588.37**

*****